

प्रेषक,

प्रमोद कुमार वर्मा,
निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन),

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,

पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर(भभुआ), नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगुसराय, खगड़िया, किशनगंज, भागलपुर, बाँका, पूर्णियाँ, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली (हाजीपुर), सीतामढ़ी, प० चम्पारण(बेतिया), पूर्वी० चम्पारण(मोतिहारी), सारण(छपरा), सिवान, गोपालगंज, अररिया, कटिहार एवं मधुबनी।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजना बजट से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या-1211 दिनांक 24.06.2016 के आलोक में बेल्ट्रॉन से प्राप्त कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के सृजित पदों की अवधि विस्तार के फलस्वरूप कार्यरत कर्मियों के मानदेय/पारिश्रमिक भुगतान के लिए आवंटन के संबंध में। कुल अतिरिक्त आवंटित राशि रु 67,77,000/- (सड़सठ लाख सतहत्तर हजार) रुपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 30.03.2016 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

- उक्त पत्र के कंडिका-1(क) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
- संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड- P/3454022050101 है।
- संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 37 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः उप निदेशक-सह-आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (मुख्यालय), बिहार, पटना एवं सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
- राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है

और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
8. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-3429 दिनांक- 01.04.2015 एवं पत्रांक-5294, दिनांक 17.06.15 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
9. स्वीकृत्यादेश संख्या-1211, दिनांक- 24.06.2016 के आलोक में बिहार समग्र सांख्यिकी विकास योजना के तहत बेल्ट्रॉन से प्राप्त कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा के विरुद्ध सृजित पदों के अवधि विस्तार के फलस्वरूप कार्यरत कर्मियों को इस आवंटन से नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में पारिश्रमिक का भुगतान किया जायगा।

विश्वासभाजन

(प्रमोद कुमार वर्मा)

निदेशक

11/7/16

